



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
हॉल नं०-एस-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्प्लेक्स,
वसुन्धरा गाजियाबाद



पत्र सं०-

/मण्डोला विहार गाजि० /

दिनांक-

सेवा में,

स्व वित्त पोषित योजना 2021 के फ्लैट का प्रदेशन पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी-.....

महोदय/महोदया,

आप मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में स्व वित्त पोषित योजना 2021 के अन्तर्गत टाईप-..... फ्लैट हेतु पंजीकरण चालान संख्या के विरुद्ध पंजीकृत है एवं न्यूनतम अनुमानित लागत पर मांग पत्र निर्गत है। दिनांक को सम्पन्न लाटरी ड्रा में आपको सेक्टर-06 में फ्लैट संख्या का आवंटित है। स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार सम्पत्ति के कुल मूल्य, जमा धनराशि एवं सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशियों का विवरण निम्नवत् है:-

क	सम्पत्ति का कुल मूल्य			विविध शुल्क के विरुद्ध दिनांक तक देय धनराशि		
	1. निर्माण लागत	रु०		1 वाटर एवं सीवर कनेक्शन	रु०	
	2. सुपर प्लिंथ एरिया वर्गमी० के सापेक्ष अनुपातिक सम्मिलित भूमि मूल्य	रु०		2 जल मूल्य अग्रिम शुल्क 3 माह	रु०	
	फ्री होल्ड भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत	रु०		3 विलेख निष्पादन शुल्क	रु०	
	3. कुल मूल्य	रु०		4 विज्ञापन व्यय 0.25 प्रतिशत	रु०	
ख	जमा धनराशि का विवरण			5 पुर्नजीवन शुल्क	रु०	
	1 पंजीकरण हेतु जमा धनराशि	रु०		6 साईट प्लान शुल्क	रु०	
	2 किश्तों के विरुद्ध जमा	रु०				
	3 कुल जमा	रु०				
	4 (किश्त जमा करने पर अतिरिक्त ब्याज		ड	योग	रु०	
	5 किश्त पर देय ब्याज समायोजन के उपरान्त शुद्ध जमा धनराशि (3-4)	रु०				
		रु०		(1) फ्लैट के मूल्य पर देय जी०एसटी०	रु०	
ग	सम्पत्ति के मूल्य के विरुद्ध दि० तक देय धनराशि (क-ख)	रु०		(2) मांग पत्र के अनुसार देय जी०एसटी०	रु०	
	कार्पस फण्ड	रु०				
	रख-रखाव शुल्क दो वर्ष का	रु०				
		रु०				
घ	योग:-					

क्रम सं०	बैंक का नाम	RTGS/NEFT Code	खाता संख्या	बैंक ड्राफ्ट हेतु खाते का नाम	देय दिनांक

क्रम संख्या-(ग, ड, व च) की उपरोक्त धनराशि निर्धारित बैंक में देय तिथि तक बैंक ड्राफ्ट "UP Avas Evam Vikas Parishad, Ghaziabad" के पक्ष में देय हो, के माध्यम से निर्धारित बैंक शाखाओं में कार्यदिवसों में जमा की जानी है तथा क्रम संख्या-(घ) की धनराशि निर्धारित बैंक में देय तिथि तक बैंक ड्राफ्ट "(Ex.Engg. CD 03Bagpat Corpus fund , Ghaziabad)" के पक्ष में देय हो, के माध्यम से निर्धारित बैंक शाखाओं में कार्यदिवसों में जमा की जानी है। (RTGS / NEFT / Bank D.D.) द्वारा धनराशि जमा करने पर आपको अपने खाते की फोटो प्रति, यू०टी०आर० संख्या, आवेदन फार्म/चालान संख्या, सम्पत्ति श्रेणी का अंकन करते हुए एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में सूचना उपलब्ध करानी होगी। उपरोक्त अंकित धनराशि विलम्ब से भुगतान करने पर 13.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से पूर्ण माह का अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा एवं सेवाकर विलम्ब की दशा में सेवाकर के प्राविधानों के अन्तर्गत ब्याज/दण्ड ब्याज देय होगा। कृपया उक्त समस्त धनराशि निर्धारित बैंकों में समयान्तर्गत जमा कराने का कष्ट करें। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक/उप आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

-: कब्जा हेतु आवश्यक निर्देश:-

- 1 मा10 न्यायालय के आदेशों से भूमि प्रतिकर में वृद्धि अथवा अन्य किसी कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आपको करना होगा एवं नियमानुसार सर्विस टैक्स, व्यापार कर आदि अतिरिक्त देय होगा।
- 2 प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाईटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- 3 उक्त भवनों में भूतल पर उपलब्ध भूमि एवं छत की भूमि कॉमन सर्विसेज के अन्तर्गत है, इस भूमि पर कब्जे का अधिकार किसी भी आवंटी को नहीं है।
- 4 आवंटित फ्लैट पर ऋण प्राप्तकर्ता (आवंटी) द्वारा ऋणदायी संस्था से रजिस्ट्री, कब्जा हेतु अनापत्ति पत्र / अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 5 यदि आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में वॉछित धनराशि का भुगतान एवं औपचारिकताये पूर्ण कर फ्लैट का कब्जा प्राप्त नहीं किया जाता है तो उन्हें 30 दिन का नोटिस भेजा जायेगा, फिर भी वह कब्जा प्राप्त नहीं करते हैं तो परिषद नियमानुसार पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती करते हुए फ्लैट का आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए आवंटी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 6 अन्य नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार लागू रहेगी।

आवंटी द्वारा दिनांक तक जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची:-

- 1 प्रदिष्ट सम्पत्ति के निबन्धन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क **रु0-..... (रु0-.....मात्र)** के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एवं **रु0-100.00** का एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर **मुख्य कौषाधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट, गाजियाबाद** से प्राप्त पर विक्रय विलेख टंकित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवंटी महिला होने पर फ्लैट के कुल मूल्य पर 06 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 2 राजपत्रित अधिकारी से फोटो-हस्ताक्षर एवं पता प्रमाणित कराकर दो प्रतियों में तथा तीन पासपोर्ट साईज फोटो स्व प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 3 पंजीकरण हेतु जमा चालान की प्रति मूल रूप में प्रस्तुत करें।
- 4 **रु0-10.00** के स्टाम्प पेपर पर कब्जा हेतु शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।
- 5 आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि की रसीद रजिस्ट्री से पूर्व जमा करनी होगी, तदनुसार आवंटन पत्र में अंकित जमा धनराशि का समायोजन किया जायेगा, जो मान्य होगा।
- 6 पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, फोटो पहचान पत्र आदि की प्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 7 **रु0-100.00** का स्टाम्प पेपर जल मूल्य बाण्ड हेतु प्रस्तुत करें।
- 8 दिनांकतक देय धनराशियाँ (जमा की रसीदें) एवं उक्त प्रपत्र / औपचारिकताये को पूर्ण कर विलेख निष्पादन कराने का कष्ट करें अन्यथा दिनांक से रु0-100.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

कब्जा पत्र हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले रु0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र का प्रारूप:-

शपथ पत्र रु0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित

- मैं (नाम) पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री उम्र निवासी निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता हूँ:-
- 1 मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतया अंशतः गाजियाबाद नगर में नहीं है और उ0प्र0 के किसी और अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है।
 - 2 मेरे / मेरी पत्नी / मेरे पति अथवा अवयस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1979 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
 - 3 मैं तथा मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अवयस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती है।
 - 4 समस्त धनराशि मेरे द्वारा जमा की गयी है, जमा राशि में विवाद की दशा में स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।
 - 5 मा10 न्यायालय के आदेशों से भूमि प्रतिकर में वृद्धि अथवा अन्य किसी कारणों से उक्त सूचित मूल्य में परिवर्तन होता है तो परिषद द्वारा मांगी गयी धनराशि को जमा करने हेतु मैं बाध्य हुँगा/हूँगी। चाहे वह धनराशि रजिस्ट्री के बाद मांग की जायें।
 - 6 आवंटन पत्र में सूचित जमा धनराशि एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी जमा की रसीदों में किसी प्रकार के अन्तर होने पर / मिथ्या पाये जाने पर परिषद द्वारा सूचित धनराशि जमा करने के लिए उत्तरदायी हूँगा/हूँगी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मैं (नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेदन 1 से 6 तक वर्णित तथ्य मेरे / मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान: दिनांक :

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने वाले फोटोग्राफ का प्रारूप (दो प्रतियों में)

प्रमाणित किया जाता है कि मैं (नाम) पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री निवासी-..... क

भली भाँति जानता हूँ। इनके हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

आवंटित सम्पत्ति संख्या-

नमूना हस्ताक्षर:-

(1)

(2)

(3)

फोटो

(नोट:-फोटो, हस्ताक्षर व पता प्रमाणित कर्ता राजपत्रित अधिकारी का नाम / सुपाठ्य / सील होना आवश्यक है।)